



निग - 1130/दो/17

देवकली पत्नी रविशरण त्रिपाठी पुत्री जगदीश प्रसाद ब्राम्हण निवासी
इटौरा तहसील नागौद जिला सतना (म0प्र0)-----निगराकार

बनाम्

- 1- यज्ञ नारायण तिवारी पिता जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम डेगरहट
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म0प्र0)
- 2- सरस्वती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद त्रिपाठी नि0 ग्राम डेगरहट(फौत)

3- आरती देवी पुत्री जगदीश प्रसाद तिवारी पत्नी विजय कुमार निवासी
द्वारा बाज दि 11-4-17 को साकिन ढोढी तहसील कोटर जिला सतना (म0प्र0)-----गैरनिगराकारगण

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान्
तहसीलदार साहब प्रभारी वृत्त रामपुर तह0
रामपुर बाघेलान जिला सतना बावत् राजस्व
प्रकरण क0 40 अ 6/16-17 दि0-31.03.2017
अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0सं0म0प्र0 1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

विनयी है -

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम डेगरहट की आराजी नं0 866 रकवा 0.45 ए0,
आ0नं0 867 रकवा 0.75 ए0, आ0नं0 868 रकवा 0.23 ए0, आ0नं0 871

-2-

देवकली



विनीपित

प्रत्युत
द्वारा बाज दि 11-4-17 को
प्रस्तुत

राजस्व कलकत्ता का रवालय

Rudhbencha Kumar Dinesh' del.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

335

अनुपति आदेश प्रष्ट


प्रकरण क्रमांक R-113 अख/17/21/18

दिलोचरणी / राजगंगा/201

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	-------------------------------------

28/12/18

आवेदक की ओर से श्री पुष्पलाल कुमार शिवराज अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार राजगंगा के प्रकरण क्रमांक 40/37-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 31-3-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगंगा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला राजगंगा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

